परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित वल्मरा से साटेर (कैहड़गाँव) मोटर मार्ग लम्बाई 5.30 KM के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 270 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों (साटेर (कैहड़गाँव)....)को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या: 329/VI(1)-34(Phase-XVI)/URRDA/18, Dated : 14-05-2018 उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट कहड़गांव की आवादी 556 है जो अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि 0 है0, मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित वन भूमि 0 है0, कुल आरक्षित वन भूमि 0 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0, नाप भूमि 3.920 है0, एवमं सिविल सोयम भूमि0.933है एवं मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि 0 है0, कुल सिविल सोयम भूमि0.933है0, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अर्न्तगत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं0 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 5.30 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9 मीटर चौड़ाई में आने वाली आरक्षित वन भूमि 0 है0, मलवा निस्तारण हेतु आरक्षित वन भूमि 0 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0, सिविल सोयम भूमि0.933 है0 एवं मलबा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि 0 है0 अर्थात कुल0.933 है0 प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन समरंक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अर्न्तगत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

प्रभागीय
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

E.E.

अधिशासी अभियन्ता
पी.आई.यू. सल्ट
पी.एम.जी.एस.वाई. वर्क
जनपद अल्मोड़ा

MRana
कनिष्ठ अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. वर्क सल्ट
जनपद अल्मोड़ा

A.Singh
A.E
सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. वर्क सल्ट
जनपद अल्मोड़ा